चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 11.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपराध निरीक्षक श्री अभय राज सिंह व उनकी टीम ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने व गर्भ निरोधक गोली खिलाकर गर्भपात कराने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना भरतकूप निवासी एक वादी द्वारा थाना भरतकूप पर सूचना दी कि उनकी पुत्री के साथ विनोद नाम के व्यक्ति ने 1 वर्ष से अवैध सम्बन्ध बनाये रखे थे।अवैध सम्बन्ध के कारण उनकी पुत्री गर्भवती हो गयी। विनोद ने पुत्री का गर्भपात कराने वाली गोली(दवा) देकर कराया है। इस सूचना पर थाना भरतकूप में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना बयान पीडिता अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस व पीडिता से सम्बन्धित जन्म प्रमाण

पत्र व मेडिकल प्रपत्र के उपलब्ध कराये गये। जिनके अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 4(2) पाक्सो एक्ट का होना नही पाया गया बल्कि धारा 5/6 पाक्सो एक्ट के अपराध का होना पाया गया। मुकदमा उपरोक्त मे धारा 4(2) पाक्सो एक्ट का लोप किया गया व धारा 5/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। आज दिनाँक 11.02.2026 को थाना भरतकूप पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर थाना भरतकूप अन्तर्गत गोड़ा मोड़ के पास से अभियुक्त विनोद को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.अपराध निरीक्षक अभयराज सिंह

2. उ0नि0 अभिषेक सिंह

3.का0 नन्हे यादव

4.चालक का0 संदीप लोधी

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक पाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनांक 11.02.2026 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 21/13 धारा 60(1)(2) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त पप्पू पुत्र गोकुल कोरी निवासी बीरबल बढ़ई का पुरवा देऊधा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

(4). आज दिनाँक 11.02.2026 को क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह की उपस्थिति में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना मऊ पुलिस बल द्वारा कस्बा मऊ के मिश्रित आबादी क्षेत्र,बाजार, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया। क्षेत्राधिकारी मऊ द्वारा सड़क पर अवैध रुप किए अतिक्रमण को हटवाया गया साथ ही शराब की दुकान,होटल/ढाबा एवं दो/चार पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(5) . आज दिनाँक 11.02.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने का भरोसा दिया गया तथा पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबा एवं दो/चार पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।